राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13874/2017

सुखदीप सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, जाति जाट सिख, निवासी 14-ओ, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. अपर निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री आर.एस. चौधरी
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री गौरव रांका सुश्री वंदना भंसाली के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

20/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत कार्यालय परिपत्र/आदेश दिनांक 17.07.2017 (अनुलग्नक 9) के गैर-कार्यान्वयन से उत्पन्न हुई है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जो लोग दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित थे, उनकी जॉइनिंग तिथि दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि से मानी जाएगी। हालाँकि, याचिकाकर्ता की जॉइनिंग तिथि 11.02.2016 जो उनके दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि थी, के बजाय 09.05.2017 मानी गई। इसके अलावा, वह इस बीच की अवधि के लिए पारिश्रमिक की मांग करता है।

2. मामले के सुसंगत तथ्य, जैसा कि दलील दी गई है, इस प्रकार हैं:

2.1 प्रतिवादियों ने नर्स ग्रेड II के पद के लिए 26.02.2013 को एक विज्ञापन (अनुलग्नक 1) जारी किया। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता को 10.02.2016 के आदेश (अनुलग्नक 2) के अनुसार नियुक्त किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि से कार्यभार ग्रहण करने पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता 11.02.2016 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ। हालाँकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित एफआईआर संख्या 6/2015 सहित कुछ मुद्दों के कारण, उसका दस्तावेज़ सत्यापन पूरा नहीं हुआ। इस एफआईआर के लिए अंतिम समापन रिपोर्ट 23.02.2015 को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी।

2.2 इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 03.03.2016 को पीएचसी खारला में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और अप्रैल 2017 तक वहां काम किया। अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता को 14,660/- रुपये का निर्धारित परिवीक्षा पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया गया, हालांकि उनकी सेवाओं का लगातार उपयोग किया गया। जब जांच अधिकारी द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट को सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो उन्होंने 04.08.2016 के ट्रायल कोर्ट के आदेश के साथ दिनांक 29.12.2016 (अनुलग्नक 5) के एक अभ्यावेदन के माध्यम से अपनी शिकायत के समाधान के लिए प्रतिवादी प्राधिकारी से संपर्क किया।

2.3. याचिकाकर्ता ने 23.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 4 को एक और अभ्यावेदन (अनुलग्नक 8) प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि 11.02.2016 से पारिश्रमिक जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए, यह याचिका।

3. जवाब में बचाव यह किया गया है कि नियुक्ति आदेशों की अनुपालना में चयनित अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन हेतु रिपोर्ट करना था। जिला स्तर पर गठित समिति ने दस्तावेज सत्यापन हेतु कुछ समय लिया तथा उसके पश्चात 10-15 दिवस में कार्यभार ग्रहण किया। इस तिथि को कार्यभार ग्रहण तिथि माना जाना है। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर ने 17.07.2017 को आदेश जारी कर निर्देश दिया कि कार्यभार ग्रहण की प्रारंभिक तिथि वह तिथि मानी जाए, जिस दिन अभ्यर्थी ने सत्यापन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जब तक कि न्यायिक मामले, असंतोषजनक पुलिस सत्यापन अथवा शैक्षणिक अथवा चिकित्सा

प्रमाण-पत्रों में कोई कमी न हो। पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित था, जिसके कारण वह दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य था। अतः उसकी कार्यभार ग्रहण की तिथि दस्तावेज प्रस्तुत करने/सत्यापन की तिथि नहीं हो सकती। इसलिए, याचिका खारिज करने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. दिनांक 17.07.2017 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 9) में उल्लिखित नोट के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 ने निर्देश दिया है कि पदधारियों की प्रथम कार्यभार ग्रहण तिथि को उस तिथि से माना जाना चाहिए, जिस तिथि को दस्तावेजों में कमी को ठीक कर लिया गया है। मेरी राय में, उक्त नोट अत्यधिक मनमाना तथा अन्यायपूर्ण है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने वास्तव में 11.02.2016 को प्रतिवादी संख्या 4 के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था तथा वह प्रतिवादी संख्या 4 के निर्देशानुसार रिक्त पद पर कार्य कर रहा था। इसलिए, आक्षेपित नोट वास्तविकता के विपरीत होने के कारण टिकने योग्य नहीं है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए।

6. इसके अतिरिक्त, दिनांक 10.02.2016 के आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.02.2016 को प्रतिवादी संख्या 4 के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी तथा दिनांक 02.03.2016 तक लगातार उपस्थित रहा। इसके पश्चात याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से पी.एन.सी. खारला में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 11.03.2016 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 से निर्देश मांगा, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 12.02.2016 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 4 के कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.02.2016 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी तथा उसे बिना उसकी किसी गलती के वेतन नहीं दिया गया। उसे वास्तविक ड्यूटी अवधि के लिए वेतन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आधार पर भी याचिका स्वीकार की जानी चाहिए।

7. इस आधार पर, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 17.07.2017 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 9) को रद्द किया जाता है और इस आधार पर अपास्त किया जाता है कि याचिकाकर्ता की ज्वाइनिंग तिथि 11.02.2016 (जो कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति/वास्तविक ज्वाइनिंग की तिथि है) के बजाय 09.05.2017

मानी गयी थी। याचिकाकर्ता को वास्तविक ज्वाइनिंग तिथि यानी 11.02.2016 से वरिष्ठता लाभ सहित सभी परिणामी लाभों का भी हकदार माना जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।